भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1620

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2025

गन्नावरम विमानपत्तन पर आरोहण सुविधा वापस लेना

1620. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्नावरम विमानपत्तन पर आरोहण सुविधा वापस ले ली गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के हज यात्रियों को एक बार फिर हैदराबाद जाना पड़ रहा है और यदि हां, तो उक्त सुविधा को वापस लेने के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या सरकार हज यात्रियों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए गन्नावरम विमानपत्तन को आरोहण स्थल के रूप में पुनः स्थापित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): हज 2025 के लिए 19 आरोहण स्थल (EP) थे, हालांकि, हज 2025 के लिए 18 आरोहण स्थल संचालित किए गए थे। आरोहण स्थल का चयन तीर्थयात्रियों की मांग और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की व्यवहार्यता, संबंधित हवाई किराए आदि के आधार पर किया गया था। हज-2025 के दौरान, केवल 78 तीर्थयात्रियों ने विजयवाड़ा आरोहण स्थल (गन्नावरम हवाई अड्डा) को चुना। तीर्थयात्रियों की कम संख्या और अधिक हवाई किराए (निकटवर्ती आरोहण स्थल से दोगुना) के कारण, इस आरोहण स्थल को संचालित करना परिचालन की दृष्टि से अव्यावहारिक था।

(ख): इस मामले में संबंधित हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

*****